



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60422

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 1672 वर्ष 2026

काशी नाथ यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कृपा शंकर शुक्ला, राम कृष्ण पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आद्या प्रसाद तिवारी, अंकित कुमार यादव, सी.एस.सी., सत्यम शर्मा

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृपा शंकर शुक्ला और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आद्या प्रसाद तिवारी की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस स्तर पर न्यायालय को समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 3475/2026 में दिनांक 30.1.2026 को पारित आदेश का पालन न करने का कोई कारण नहीं मिलता, क्योंकि दिनांक 15.6.2013 के आदेश के बाद, जिसमें समेकित पुनरीक्षण याचिकाएं सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज कर दी गई थीं, और बाद में एक अलग पुनरीक्षण याचिका दिनांक 15.9.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी और उपरोक्त संदर्भित रिट याचिका में इसे चुनौती दी गई थी, जबकि वर्तमान मामला अन्य पुनरीक्षण याचिकाओं की बर्खास्तगी से उत्पन्न हुआ है।

3. संदर्भ के लिए, दिनांक 30.1.2026 के आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई।

2. याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित राहतों की मांग की है:

i. दिनांक 15.09.2025 और 05.11.2009 (अनुलग्नक संख्या 14 और 4) के विवादित आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो क्रमशः प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा पारित किए गए हैं;

ii. याचिकाकर्ता के प्रश्नगत भूखंड, अर्थात् भूखंड संख्या 117, जो ग्राम बरथौनी, तहसील, जिला वाराणसी में स्थित है, पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने वाला परमादेश रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 41 के तहत याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय हरि नाथ के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई थी और इसका निर्णय दिनांक 05.11.2009 के आदेश द्वारा किया गया था। स्वर्गीय हरि नाथ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उनके भाई बैज नाथ को जब दिनांक 05.11.2009 के आदेश के बारे में पता चला तो उन्होंने दिनांक 12.05.2010 को बहाली के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन इसे भी दिनांक 05.02.2013 के आदेश द्वारा समय सीमा समाप्त होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

4. दिनांक 05.02.2013 के आदेश और दिनांक 05.11.2009 के आदेश से व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के तहत पुनरीक्षण संख्या 109/2013 दायर की गई। हालांकि, दिनांक 15.06.2013 के आदेश द्वारा इस पुनरीक्षण को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि दिनांक 05.11.2009 के आदेश और दिनांक 05.02.2013 के आदेश के विरुद्ध दो अलग-अलग पुनरीक्षण दायर किए जाने चाहिए थे।

5. याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन किया गया है कि 15.6.2013 के आदेश के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत दायर पुनरीक्षण याचिका 05.11.2009 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जो मामला संख्या 151/2012-13 के रूप में अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी के समक्ष पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, 05.02.2013 के आदेश के विरुद्ध एक अन्य पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसके द्वारा बहाली के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था।

6. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि केस संख्या 151/2012-13 के रूप में दर्ज पुनरीक्षण याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पिछली पुनरीक्षण याचिका संख्या 109/2013 को पहले ही दिनांक 15.06.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और उसी आदेश के विरुद्ध कोई दूसरी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार्य नहीं थी। पुनरीक्षण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राधिकरण ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

"6- मैंने पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-11-2009 के विरुद्ध हरिनाथ पुत्र स्व० हजारी, निवासी ग्राम बरथौली, परगना कटहर, तहसील व जिला बाराणसी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी संख्या 109/2013 हरिनाथ बनाम दूधनाथ आदि योजित किया गया था, जिसे सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांक 15-06-2013 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। पुनः अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-11-2009 के विरुद्ध पुनः निगरानी योजित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। निगरानी बलहीन है और निरस्त किये जाने योग्य है।"

7. यह समझना कठिन है कि जब पुनरीक्षण केस संख्या 151/2012-13 के रूप में पंजीकृत किया गया था, दिनांक 15.06.2013 को पारित आदेश के अनुपालन में, पुनरीक्षण संख्या 109/2013 में, जिसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दो अलग-अलग पुनरीक्षण दिनांक 05.11.2009 और आदेश दिनांक 05.02.2013 के विरुद्ध दायर किए जाने चाहिए थे, न कि गुण-दोष के आधार पर, तो फिर बाद के पुनरीक्षण को कैसे अस्वीकार्य माना जा सकता है।

8. अतः, यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.09.2025 का विवादित आदेश, विवादित मामले के प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार-विमर्श और मूल्यांकन किए बिना पारित किया गया है, और इस प्रकार कानून की दृष्टि में यह मान्य नहीं है।

9. इन परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 15.09.2025 को अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) बाराणसी द्वारा पारित आदेश मामला संख्या 151/2012-13

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कम्प्यूटरिकृत मामला संख्या सी20131400001076 को रद्द किया जाता है और मामले को प्रतिवादी संख्या 2-अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी मंडल, वाराणसी को वापस भेजा जाता है ताकि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पुनरीक्षण पर पुनर्विचार करें, सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करते हुए।

4. तदनुसार, दिनांक 16 सितंबर 2025 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को संबंधित प्रतिवादी को वापस भेजा जाता है ताकि वह संबंधित पुनरीक्षण याचिका पर तीन महीने के भीतर नए सिरे से सुनवाई करे।

5. तदनुसार रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

24 मार्च, 2026

एसबी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।